न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 50/2018 **दायरा दिनांक : 28.03.2018**

उनवान

1– ग्यारसीबाई आत्मज सरिया मीणा, निवासी आबकारी गोदाम के पास जिला झालावाड़

2– बृजमोहन आत्मज जयलाल मीणा, निवासी सोरसन, तहसील अन्ता, जिला बारां

3– जसराज आत्मज जयलाल मीणा, निवासी सोरसन, तहसील अन्ता, जिला बारां

4– कान्ति बाई आत्मज जयलाल मीणा, निवासी सोरसन, तहसील अन्ता, जिला बारां

5– शान्ति बाई आत्मज जयलाल मीणा, निवासी सोरसन, तहसील अन्ता, जिला बारां

6– रामकुंवार आत्मज देवीलाल मीणा, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7– रामराकेश आत्मज देवीलाल मीणा, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8– देशराज आत्मज देवीलाल मीणा, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

9– अनिल कुमार आत्मज देवीलाल मीणा, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज ग्राम बल्देवपुरा जर्ये वादमित्र ग्रामवासियान :–

1— भगवान सिंह आत्मज किशनलाल, आयु 41 वर्ष, जाति मीणा, निवासी बल्देवपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— भरत सिंह आत्मज मथुरा लाल, आयु 45 वर्ष, जाति मीणा, निवासी बल्देवपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3— देवकरण आत्मज भैरू लाल आयु 45 वर्ष, जाति मीणा, निवासी बल्देवपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4— देशराज आत्मज शिवकरण, आयु 55 वर्ष, जाति मीणा, निवासी बल्देवपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5— शंकरलाल आत्मज भोला, आयु 65 वर्ष, जाति मीणा, निवासी बल्देवपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6— राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री पूरी लाल राठौड़ अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री राजेन्द्र कुमार ठाटोदिया, इकराम हुसैन एवं

श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.12.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या — 5442/प्रार्थना पत्र/2017 निर्णय दिनांक 20.03.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 81, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का रेस्पोडेंट द्वारा पेश किया गया था और यह कथन किया कि ग्राम बरेडा की आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा तथा खसरा नम्ब्र 148 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा आराजी को मृतक खातेदार रूकमा ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी को दान कर दिया था जिस कारण अपीलांट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो स्थायी निषेधाज्ञा अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित किया गया आदेश निम्न कारणों से निरस्त होने योग्य है :—

(1) प्रथम दृष्टया राजस्व अभिलेख में कहीं पर भी रेस्पोडेंट अर्थात् वादीगण का नाम खातेदारी में अंकित नहीं है और न ही उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र जिस दस्तावेज के आधार पर पेश किया गया था वह अपंजीकृत है जबकि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 123 के अनुसार वैधानिक दान के लिए पंजीकृत विलेख होना अपरिहार्य है । उपरोक्त अपंजीकृत दस्तावेज मंदिर की किसी भी प्रकार से दानगृहिता नहीं है । अतः रेस्पोडेंट मंदिर की आड में उक्त जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा विधिक खातेदार को उनकी सम्पत्ति से वंचित किये जाने का कानूनी अधिकार रेस्पोडेंट को नहीं है ।

(3) पक्षकारान के मध्य लम्बित वाद में विवादग्रस्त प्रश्नों पर संज्ञेयता सक्षम दीवानी न्यायालय का है जबकि दीवानी विवादग्रस्त प्रश्नों पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक राजस्व न्यायालय को अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने की शक्तियां नहीं है । इस

प्रकार रेस्पोडेंट के पक्ष में न तो सुविधा का संतुलन है और न ही उसे कोई अपूर्णीय क्षति हो रही है । अतः प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है ।

(4) अपील में यह भी कथन किया गया है कि रेस्पोडेंट मंदिर को शाश्वत नाबालिग बताते हुए एवं स्वयं को वाद मित्र बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं किन्तु इस प्रार्थना पत्र में इन्होंने यह नहीं बताया कि इसकी नियुक्ति किस ने की एवं इसको प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार किस ने दिया ।

(5) मंदिर शाश्वत अवयस्क है जिसके बाबत न्यायालय ने प्रार्थीगण को संरक्षक नियुक्त नहीं किया है । प्रार्थना पत्र प्रतिनिधि की हैसियत से पेश किया गया है किन्तु इसमें धारा 91, 92 सपठित धारा आर्डर 1 नियम 8 की पालना नहीं की गई है ।

(6) धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद एवं प्रार्थना पत्र खातेदार कृषक ही ला सकता है जबकि उपरोक्त प्रतिनिधि कभी भी विवादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं रहे हैं ।

(7) यह कि उक्त आराजी अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की है जो किसी प्रकार से गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रदान नहीं की जा सकती है । अत : अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिसमें अपीलार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी में यह प्रमाणित माना कि खातेदार रूकमा ने अपने जीवनकाल में मिति माह सुदी 6 सम्वत 2016 को मंदिर श्री सीताराम जी भगवान को विवादित

आराजी दान कर कब्जा संभला दिया गया । खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 में यह अंकन है कि जैली भंवरलाल ब्राहमण सेवा पूजा मंदिर बलदेवपुरा की करने के ऐवज में काश्त करते हैं । प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी भगवान का मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में 2002(2) डब्ल्यू एल सी राजस्थान पेज 533, 2013(1) आर आर टी पेज 123 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया था । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रूकमा बेवा सरिया उपरोक्त आराजी की खातेदार काश्तकारी सैटलमेंट के पूर्व से दर्ज है एवं वर्तमान में भी उनके वारिसान दर्ज होकर क्रेतागणों का नाम दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 904 में

रूकमा बेवा सरिया के वारिसान ने रामकुंवार, रामराकेश, देशराज, अनिल कुमार इत्यादि को जमीन का बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण 23–11–2017 में पटवारी द्वारा भरा जाकर पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया । इससे पूर्व रूकमा के वारिसान का नामान्तरकरण संख्या 896 दिनांक 23.11.2017 समान दिनांक को ही दर्ज किया गया है । उपरोक्त दोनों नामान्तरकरण एक साथ दर्ज किये गये हैं एवं पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है जो ग्राम पंचायत की कार्यवाही पर संदेह उत्पन्न करता है। दान पत्र एक कोरे कागज पर लिखना पाया गया है जिसमें रूकमा बेवा सरिया के द्वारा स्वस्थ्य, अच्छे से बिना किसी दबाव के उपरोक्त वादग्रस्त आराजी सीताराम भगवान को दान करना कथन किया गया है । पत्रावली में एक पंचनामा भी दर्ज है जिसमें ग्रामवासियों के द्वारा यह लिखा गया कि दिनांक 17.07.2017 को यह भूमि फर्जी उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज कर दी गई है जिसे खारिज फरमाया जावे । दस्तावेज एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त दावे में टाईटल को लेकर विवाद है एवं टाईटल का निर्णय मुख्य दावे में किया जाना है जो वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थायी निषेधाज्ञा जो कि अपीलांट के विरूद्ध पारित की गई है । यदि उसे हटाया जाता है तो उपरोक्त जमीन के बेचान एवं खुर्द बुर्द होने की संभावना बढ़ सकती है तथा अनावश्यक विवादों के दावे से भी इंकार नहीं किया जा सकता है । इसलिए जब तक मुख्य पत्रावली में टाईटल का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा